न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश, क्रम–03, अजमेर

पीठासीन अधिकारी – **नीरज गुप्ता, आर.जे.एस.**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

फौजदारी निगरानी याचिका संख्या–22/2026
(सी.आई.एस नंबर–22/2026)

कमलेश सेन पुत्र श्री नन्दकिशोर, उम्र 24 वर्ष, निवासी नाईयों का मौहल्ला गुडली पुलिस थाना डबोक जिला उदयपुर। **–––निगरानीकार/मुलजिम**

बनाम

1. अर्चित मिश्रा पुत्र श्री कमलकांत मिश्रा, निवासी 359/14 शिव नगर बिहारीगंज, पुलिस थाना अलवरगेट अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक, अजमेर ।

–––गैर निगरानीकर्तागण

फौजदारी निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 397 द. प्र. सं. विरूद्ध आदेश दिनांक 17–01–2026, प्रकरण संख्या 13613/23, उनवानी सरकार बनाम कमलेश व अन्य, में राजीनामा अस्वीकार करने के आदेश के विरूद्ध, द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 06, अजमेर पीठासीन अधिकारी भावना सिंह, आर.जे.एस.

उपस्थित–

1– श्री अब्दुल रसीद, विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से।
2– श्री आयुष सिंह, विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता सं.1 की ओर से।
3– विद्वान अपर लोक अभियोजक, वास्ते राज. राज्य।

आ दे श

दिनांक 07–03–2026

1. निगरानीकार/मुलजिम कमलेश सेन ओर से गैर–निगरानीकर्तागण के विरूद्ध यह निगरानी याचिका विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 06, अजमेर द्वारा दिनांक 17–01–2026 को पारित आक्षेपित आदेश जिसके द्वारा परिवादी व मुलजिम के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा तस्दीक नहीं कर अस्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर माननीय सैशन न्यायालय, अजमेर में प्रस्तुत की गई, जहां से अंतरित होकर विधिनुसार सुनवाई एवं निस्तारण हेतु इस न्यायालय में प्राप्त हुई। निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. बहस निगरानी याचिका सुनी गई।

3. दौराने बहस अधिवक्ता निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये निवेदन किया गया कि प्रकरण में मुलजिम तथा परिवादी के बीच राजीनामा हो गया है जो राजीनामा विचारण न्यायालय में पेश किया गया था, लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करते हुये राजीनामा तस्दीक करने से इंकार कर दिया गया, जबकि धारा 420 भा.द.सं. राजीनामा योग्य अपराध है। जहां तक अपराध का सम्बंध है, एफआईआर के

अवलोकन से जाहिर है कि उक्त अपराध व्यक्तिगत तौर पर परिवादी के साथ किया गया अपराध है, ना कि सामाजिक अपराध है, लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा गलत तौर पर मुलजिम पर पूर्व के धोखाधडी के परिवाद व प्रकरण लम्बित होने तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मुलजिम की जमानत पूर्व में खारिज करने के आदेश के दृष्टिगत राजीनामा तस्दीक करने से इंकार किया गया है। साथ ही जहां तक धारा 66 डी आई.टी. एक्ट का प्रश्न है, उक्त अपराध बिना अनुमति के ही राजीनामा योग्य है, तथापि उसके सम्बंध में कोई भी वर्णन आक्षेपित आदेश में नहीं किया गया है। मुलजिम का पूर्व का कोई भी आपराधिक दोषसिद्धि बाबत रिकॉर्ड पत्रावली पर विद्यमान नहीं है तथा जो मुकदमे दर्ज होना बताये गये है, उनकी भी कोई लिस्ट पत्रावली पर नहीं है। प्रकरण में केवल मात्र एक व्यक्ति के साथ अपराध हुआ था, जिसके द्वारा राजीनामा कर लिया गया है। प्रार्थी/मुलजिम के खाते में केवल 75 हजार रूपये की राशि अंतरित हुई थी, इससे अधिक कोई भी राशि उसे प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों को नजरअदांज करते हुये राजीनामा तस्दीक करने से इंकार किया गया है, जो आदेश किसी प्रकार विधितः पारित आदेश नहीं है। अतः उक्त आक्षेपित आदेश अपास्त कर राजीनामा तस्दीक करने का आदेश दिया जावे। साथ ही अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये–

1. Mohammad Danish & Ors vs State of Rajasthan
   S.B. Cri.Misc. (Pet.) No 3714/19 (Raj) Dated 8–4–21
2. Ramandeep kaur vs State of Punjab & Ors
   S.No. 298/2023 (P&H) Dated 30–10–2023
3. Gian Singh vs State of Punjab & Ors
   (2012) 4 AICLR 551(SC)
4. Shiji Alias Pappu & Ors vs Radhika & Ors
   2012 Cri.L.J. 840 (SC)

4. वहीं दौराने बहस विद्वान अपर लोक अभियोजक की ओर से विधिनुसार आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया गया।

5. वहीं अधिवक्ता प्रत्यर्थी/परिवादी द्वारा आक्षेपित आदेश का गलत होना जाहिर कर अपास्त करने का निवेदन किया गया।

6. मेरे द्वारा बहस के प्रकाश में हस्तगत पत्रावली, विचारण न्यायालय की पत्रावली, आक्षेपित आदेश एवं संबंधित विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टातो का सम्मानपूर्वक अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

7. इस न्यायालय के समक्ष यह बिन्दु अवधारणार्थ उपस्थित है कि

''क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 17–01–2026 अशुद्ध, अविधिक, अनौचित्यपूर्ण एवं

त्रुटिपूर्ण होने के कारण उक्त आदेश अपास्त किये जाने योग्य है?''

8. पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि परिवादी/ गैरनिगरानीकार सं.1 अर्चित मिश्रा द्वारा परिवाद अन्तर्गत धारा 420 सपठित धारा 120बी भा.द.सं. व 66डी आई टी एक्ट के तहत विचारण न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया गया कि परिवादी सोफटवेयर इंजीनियर है तथा अजमेर में ही घर से कार्य कर रहा है। दिनांक 20.7.23 को परिवादी को वाटसएप मैसेज प्राप्त हुआ जिसमें भेजने वाले ने कहा कि वह चैग इण्डिया कम्पनी के लिए काम करता है व उक्त वाटसएप मैसेज मोबाईल नम्बर 918434027012 से भेजा गया था। जिसमें परिवादी को यह प्रस्ताव दिया गया कि परिवादी उनके माध्यम से फ्रीलॉन्स कार्य कर सकता है व सबस्क्राईब करने पर 20–50 रूपये प्रति सबस्क्राईब प्राप्त होगे। आगे परिवादी को टेलीग्राम चैनल का लिंग भी भिजवाया गया जिसे सबस्क्राईब करने पर परिवादी के खाते में 200 रूपये प्राप्त हुये। दिनांक 20.7.23 को ही परिवादी को उक्त वेबसाईट पर अपना के.वाई.सी. करवाया गया, जिसके पश्चात परिवादी को उक्त वेबसाईट पर एक व्यक्ति द्वारा उसके बताये अनुसार क्लीक करने के लिए जो स्वयं को क्रिप्टो करंसी में कार्य करना सिखाने का मार्गदर्शक बता रहा था, जिसके बताये अनुसार क्लीक करने के पश्चात परिवादी को 1300 रूपये उसके खाते मे प्राप्त हुये। उकसे पश्चात उक्त आईडी से उसे 5000, 1000 निवेश करने के लिए कहा गया व उक्त निवेश के पश्चात उसके खाते में 8300 रूपये प्राप्त हुये, जिससे परिवादी को उक्त प्रक्रिया पर विश्वास हो गया। तत्पश्चात दिनांक 21.7.23 को परिवादी से 5000 रूपये इन्वेस्ट करने के लिए जमा कराये तथा उसके पश्चात परिवादी से 30,888 रूपये तथा उसके पश्चात 87,777 रूपये व उसके पश्चात 2 लाख रूपये निवेश करने के लिय कहकर उत्प्रेरित किया कि आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा। उक्त राशि बताये अनुसार जमा कराने के पश्चात एक टेलीग्राफ ग्रुप बनाकर परिवादी को जोडा जिसमें चार अन्य लोग भी जुडे हुये प्रतीत हो रहे थे तथा उन्हें राशि उपरोक्त प्रकार से राशि निवेश करने के लिए कहा गया तथा उनके द्वारा यह निरूपित किया गया कि उनके द्वारा उक्त राशि निवेशित कर दी गयी है, जिससे उत्प्रेरित होकर परिवादी द्वारा भी उक्त राशि जमा करायी गयी। उक्त व्यक्ति द्वारा यह भी कहा गया कि यदि राशि निवेश करना बंद कर दी गयी तो पूर्व में जमा करायी गयी सारी राशि जब्त हो जायेगी व आपके द्वारा जमा करायी गयी राशि को किसी पूण्यार्थ संस्था को दे दिया जायेगा। निवेश के पश्चात परिवादी को यह बताया गया कि परिवादी द्वारा ट्रेडिंग के दौरान गलत क्लीक कर दिया गया है, इस कारण सारी राशि डूब गयी है व उक्त राशि को वापस प्राप्त करने के लिए उससे 2,88,888 रूपये मांगे गये तथा उक्त राशि जमा नहीं कराने पर उसे जान से मरवा देने की धमकी दी जिस पर दिनांक 22.7.23 को 2,88,888 रूपये उनके द्वारा बताये गये खाते में जमा करा दिये। तत्पश्चात पुनः परिवादी को दो लाख रूपये जमा कराने के लिए कहा गया, जिस पर दिनांक 22.7.23 को परिवादी ने उनके बताये

खातों में दो लाख रूपये जमा करा दिये। राशि जमा कराने के पश्चात उन्होंने वेबसाईट पर क्रिप्टो विड्रोल बताया जिसमें उसके द्वारा निवेश किये गये 8 लाख रूपये का रिटर्न 18 लाख रूपये होना बताया गया। तत्पश्चात पुनः परिवादी को बताया गया कि आपको प्राप्त होने वाली राशि बडी है, इसलिए टैक्स जमा कराना पडेगा व 3,70,725 रूपये परिवादी को सरकारी टैक्स जमा कराने हेतु मांगे जो परिवादी ने जमा करा दिये। तदुपरांत अमानत राशि के रूप में 5 लाख रूपये की मांग की गयी। उक्त राशि जमा कराने के पश्चात पुनः यह सूचित किया गया कि आपकी ओर से जो दो लाख रूपये कम जमा कराये गये थे उन्हें पहले जमा कराओ तभी आपकी राशि मिलेगी। परिवीद ने ऋण लेकर उक्त राशि जमा करायी। तत्पश्चात परिवादी के खाते में राशि प्राप्त नहीं हुई एवं एक झूठा ट्रांजेक्शन प्रूफ परिवादी को भिजवाया परन्तु परिवादी के खाते में पैसे नहीं आये। इस प्रकार परिवादी के साथ छल किया जाकर धोखा देकर परिवादी से उपरोक्त राशि कुल 18,13,278 रूपये ठगी गयी है.............इत्यादि। उक्त परिवादी को विचारण न्यायालय द्वारा धारा 156(3) द.प्र.सं. के तहत पुलिस थाना अलवरगेट को वास्ते अनुसंधान प्रेषित किया गया। जिस पर पुलिस थाना अलवरगेट द्वारा एफआईआर सं. 304/ 2023 अन्तर्गत धारा 420 भा.द.सं. में दर्ज किया जाकर अनुसंधान के दौरान मुलजिम कमलेश के खाते में 75 हजार रूपये अंतरित होना पाया गया है तथा मुलजिम कमलेश व नरेन्द्र के विरूद्ध धारा 420, 120बी भा.द.सं. व 66डी आई टी एक्ट में आरोप पत्र पेश किया गया तथा अन्य मुलजिमान के विरूद्ध अनुसंधान धारा 173(8) द.प्र.सं. में लम्बित होना बताया गया है।

9. जहां तक आरोपित अपराधों का सम्बंध है, धारा 420 भा.द.सं. का अपराध धारा 320(2) द.प्र.सं. में वर्णित अपराधों की श्रेणी में आता है, जिसका न्यायालय की अनुज्ञा से जिस व्यक्ति के साथ छल किया गया, वह शमन कर सकता है।

वहीं जहां तक धारा 66डी आई.टी. एक्ट का प्रश्न है, उक्त अपराध में 3 वर्ष तक के कारावास एवं एक लाख रूपये के जुर्माने की सजा का प्रावधान है । वहीं धारा 77ए में उक्त अधिनियम के तहत अपराध के शमन बाबत निम्नानुसार प्रावधान किया गया है–

77ए. अपराधों का समझौता– सक्षम क्षेत्राधिकार वाला न्यायालय उन अपराधों के अलावा अन्य अपराधों का समझौता कर सकता है जिनके लिए इस अधिनियम के तहत आजीवन कारावास या तीन वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास का दंड निर्धारित किया गया है:

बशर्ते कि न्यायालय ऐसे अपराध का समझौता नहीं करेगा जहां अभियुक्त अपने पूर्व दोषसिद्धि के कारण बढ़ी हुई सजा या भिन्न प्रकार की सजा का पात्र हो:

इसके अलावा, न्यायालय किसी भी ऐसे अपराध का समझौता नहीं करेगा, जहां ऐसा अपराध देश की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करता हो या 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे या महिला के विरुद्ध किया गया हो।

(2) इस अधिनियम के तहत किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति उस न्यायालय में समझौता करने के लिए आवेदन कर सकता है जिसमें अपराध का मुकदमा लंबित है और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 265 बी और 265 सी के प्रावधान लागू होंगे।

10. जहां तक उक्त विधिक प्रावधानों के प्रकाश में विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश का प्रश्न है, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मुख्यतः यह अंकित करते हुये राजीनामा तस्दीक करने से इंकार किया गया है कि **"कमलेश सैन के द्वारा अपराध अन्तर्गत धारा 420 भा. द.सं. व 66 डी आई.टी. एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया गया है, जो कि सामाजिक एवं आर्थिक प्रकृति का है एवं वर्तमान समय में सूचना एवं प्रोद्यौगिकी के तहत किये गये अपराधों में दिन–प्रतिदिन वृद्धि हो रही है व इससे समाज व जनसाधारण पर विपरीत प्रभाव पड़ा है एवं दिन–प्रतिदिन इस प्रकार के बढ़ते अपराधों की वजह से समाज का एक बड़ा तबका प्रभावित हो रहा है एवं लोगों को इससे आर्थिक हानि व नुकसान कारित हो रहा है। यद्यपि दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 420 न्यायालय की अनुज्ञा से क्षमनीय प्रकृति का अपराध है व धारा 66 डी आई.टी एक्ट के तहत तीन वर्ष तक के कारावास तक दण्डनीय अपराध है। किन्तु इस तथ्य से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि अभियुक्त के विरुद्ध ओनलाईन धोखाधड़ी के 59 परिवाद तथा 23 प्रकरण दर्ज है, जिससे वह एक आदतन अपराधी प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त कमलेश को राजीनामें की संभावना के आधार राजीनामा तस्दीक करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अतः उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते राजीनामा अन्तर्गत धारा 420 भा.द.सं. व 66 डी आई.टी. एक्ट दिनांकित 15.01.2026 अस्वीकार कर खारिज़ किया जाता है।"**

11. उल्लेखनीय है कि प्रकरण में जो एफ.आई.आर. दर्ज करवायी गयी है, उसमें परिवादी के साथ ऑनलाईन धोखाधडी करने व उक्त धोखाधडी की रकम में से 75 हजार रूपये मुलजिम के खाते में जाने के आधार पर मुलजिम को प्रकरण में आरोपित किया गया है। अन्य किसी के साथ अथवा समाज के बडे तबके के साथ हस्तगत प्रकरण में मुलजिम द्वारा कोई अपराध कारित किया जाना दर्शित नहीं है, लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों को ध्यान में लाये बिना ही केवल मात्र पूर्व में मुलजिम की जमानत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से खारिज होने एवं पूर्व में दर्ज प्रकरणों के दृष्टिगत एवं मुलजिम द्वारा कारित अपराध सामाजिक व आर्थिक प्रकृति का होना वर्णित करते हुये, राजीनामा तस्दीक करने से इंकार किया गया है ।

12. जैसाकि पूर्व में वर्णित किया जा चुका है कि प्रकरण में एकल परिवादी के साथ अपराध होना प्रकरण में प्रस्तुत रिपोर्ट से दर्शित है तथा अन्य किसी व्यक्ति अथवा समाज के बडे तबके के साथ अपराध होना दर्शित नहीं है, जिसके द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष राजीनामा पेश किया गया है। उक्त राजीनामा स्वैच्छिक

Authenticated Document

नहीं हो, ऐसा भी कोई कारण दर्शित नहीं किया गया है।

13. उल्लेखनीय है कि निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत **Gian Singh** वाले प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वे अपराध जो वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, सिविल, भागीदारी से अपराधों से संबंधित हो, या व्यवहारिक अपराध हो या पारिवारिक विवाद हो, जहां भी उक्त कृत्य मूलत व्यक्तिगत हो एवं पक्षकारान द्वारा अपना विवाद समाप्त कर लिया गया हो, वहां उच्च न्यायालय कार्यवाही समाप्त कर सकता है । साथ ही यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां मुलजिम एवं पीडित के मध्य राजीनामा हो जाता है, वहां दोषसिद्धि की सम्भावनाएं अत्यंत नगण्य हो जाती है तथा ऐसी कार्यवाही को चालू रखना न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग दर्शित होगा या नहीं यह उच्च न्यायालय को देखना आवश्यक है तथा उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक कार्यवाही समाप्त करने को सही माना गया है।

14. चूंकि प्रकरण में जैसाकि पूर्व में वर्णित किया जा चुका है कि जो अपराध किया गया है वह स्पष्ट तौर पर एकल व्यक्ति परिवादी के साथ किया जाना दर्शित है, जिसके द्वारा मुलजिम से राजीनामा होना जाहिर कर राजीनामा पेश किया गया है, लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उसे सामाजिक एवं आर्थिक अपराध वर्णित किया गया है, जो विवेचन किसी प्रकार युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता है। अतः बाद गौर उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में पारित आक्षेपित आदेश जिसके द्वारा राजीनामा तस्दीक करने से इंकार किया गया है, किसी प्रकार विधि सम्मत पारित आदेश प्रतीत नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

आ दे श

15. अतः निगरानीकार/मुलजिम कमलेश सेन की ओर से गैर निगरानीकर्तागण के विरूद्ध प्रस्तुत हस्तगत निगरानी याचिका स्वीकार कर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 17–01–2026 को अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विचारण न्यायालय पुनः सुनवाई कर, प्रकरण में विधिनुसार आदेश पारित करे। पक्षकारान विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 10–03–2026 को उपस्थित रहे। निर्णय की प्रति के साथ विचारण न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब लौटाई जावे।

(नीरज गुप्ता)
अपर सैशन न्यायाधीश
क्रम–03, अजमेर

Authenticated Document

16. आदेश आज दिनांक 07–03–2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सरे इजलास उद्घोषित किया गया।

(नीरज गुप्ता)
अपर सैशन न्यायाधीश
क्रम–03, अजमेर

IMRAN
Digitally signed by IMRAN
Date: 2026.03.10 10:45:01 +0530